

प्रेषक,

रायुक्त शिक्षा निदेशक,
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।

सेवा मं.

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।


पत्रांक - एन03000सी0 / _____ / 2012-13 दिनांक : 28 जुलाई, 2012

विषय : कोलम्बस इंटरनेशनल स्कूल, सिसावार नगरा, जनपद-बलिया को सी0वी0एस0इ0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित, विद्यालय को सी0वी0एस0इ0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैं:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामेत एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसृचित जाति/जनजाति के मेधावी तत्वों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संरक्षा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान वांग नहीं की जायेगी और उसे व्यंग विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल गोवर्नर ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कॉर्पोरेशन फार दि इंडियन स्कूल सेटकिंग एकजामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्राप्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संरक्षा के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुभन्न वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिया जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और वे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुभन्न सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जानेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पॉजिक्यों में रखा जायेगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमेद्दन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा।


Principal
Columbus International School
Nagra, Rastra Road, Ballia (U.P.)


COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL
MANAGER

२- उक्त प्रतिवेदन का चलने करना सभा के १५३ नंबरों तोमा और उनीं किसी शामि

पाया जाता है कि सभ्या द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुच्छेद किसी भी रूप में लागत वा व्यवस्था द्वारा प्रत्यापिता वर्ती जाती है तो एक समाज द्वारा प्रत्यक्ष वा अन्य व्यवस्था द्वारा प्रत्यापिता वर्ती जाती है तो एक समाज द्वारा प्रत्यक्ष वा अन्य व्यवस्था द्वारा प्रत्यापिता वर्ती जायेगा।

भवतीम्

(शूरज नाशयण निधि)

सचिव सचिव / संयुक्त प्रधान । १८८

आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

१०८०/१०८००८०८०/ १५७३-४) । २०१२-३ तम , इनका।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थी एवं अदृशक कार्यताही हेतु प्रेषित-

१. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

२. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

३. शिक्षा निदेशक (एम), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

४. जिलाधिकारी, बलिया।

५. जिला विद्यालय नियोजक, बलिया।

६. नियोजक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

७. प्रबन्धक, कोलम्बस इंटरनेशनल स्कूल, रिसावर चमड़ा जगह-बलिया।

८. गार्ड फाइल।

(शूरज नाशयण निधि)

सदस्य सचिव / संयुक्त शिक्षा निधि

आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।


Principal
 Columbus International School
 Nadra, Rasra Road, Ballia 243001


 COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL
 MANAGER